


22.04.25

पत्रावली पेशा / उभय पक्षकारान अधिवृत्ता
उपस्थित / अप्रार्थी सं. 1 व 16 वाड
तामिल अनुपस्थित / रु.क - रु.क कर
तीन बार आवाज दिलवाई गई / कोई
उपस्थित नहीं होने से इनके विरुद्ध
एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई
जाती है / अप्रार्थी सं. 2 की ओर न
कोई जवाब पेश नहीं किये जाने पर




सहायक कलेक्टर, सांचौर
(न्यायमंडल अधिकारी, सांचौर)


तारीख हुक्म

हुक्म या कार्यवाही अज इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुक्म की तारीख
में जारी हुए।

जवाब बंद किया जा रहा है।
अपार्ची सं. 2 से 13 व 15
का उकवालिया जवाब प्राप्त।
अपार्ची सं. 14 को तर्क किया
हुआ। प्राचीया अधिवक्ता की
ओर से एकपक्षीय बहस कर निवेदन
किया गया कि वादग्रस्त भूमि
संगुप्त खातेदारी के रूप में
दर्ज है, तथा अपार्ची सं. 02
उक्त भूमि को अजनबी व्यक्ति
को बँचान करने पर उतार
है। अपार्ची अधिवक्ता द्वारा
इसे नकारते हुये कथन किया
कि वादग्रस्त भूमि पर अल्पाई
निषेधाज्ञा जारी की जावे तो उसे
कोई आपत्ति नहीं है। प्राचीया
अधिवक्ता द्वारा मौजा अचलपुर
की पुर्वोक्ती भूमि खसरा नं. 907
रकबा 8.95 हेक्टेयर पर झल वाड
के निलतारण तउ अल्पाई निषेधाज्ञा
जारी करमवे।

हमने उपपक्षकारान अधिवक्ता
की बहस पर समन किया। पत्रावली
में संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन
किया। प्रथम दुष्टया मासला,
सुनिधा का संतुलन, अपूर्णीय अति


सहायक जज, सांचौर
(उपसंग्रह अधिवक्ता, सांचौर)


तारीख तुलना

तुलना या कार्यवाही आज इनिशियल्स जज

के तीनों बिन्दु प्राचीन के पक्ष में होने से प्राचीन पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाना है।

— आदेश:—

आतः मूल वाद के निस्तारण तक प्राचीन के पक्ष में व अप्राचीन के विरुद्ध इस आदेश की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि मौजा अचलपुर के ख. न. 907 रकबा 3.95 हेक्टेयर में अप्राचीन राजस्व रिकॉर्ड व मौजे की सचा हिसाब बकाये रखेंगे। पत्रावली फॉल्ल शुभार हेकर नंबर से कम हेकर दायिल बफर है।


सहायक कलेक्टर (उपखण्ड अधिकारी, साचीर)